जिला सूचना कार्यालय हरिद्वार।
निकट देवपुरा चौक, पुरानी कचहरी, हरिद्वार।
E-mail: suchnaharidwar@gmail.comदूरभाष : 01334–226695, मोबाइलः 7055007017

दिनांक : 16.10.2017

## प्रेस विज्ञप्ति

हरिद्वार। जिलाधिकारी दीपक रावत ने कलेक्ट्रेट सभागार रोशनाबाद में अवैध खनन को रोकने के सम्बन्ध में बैठक लेते हुए निर्देश दिये कि अवैध खनन पर पूरी तरह से रोक लगाने के लिए सघन चैकिंग अभियान चलाया जाए। ओवर लोडिंग होने पर नियमानुसार आवश्यक पेनल्टी लगायी जाए। क्रशरों पर सीसीटीवी कैमरे लगाने के निर्देश देते हुए उन्होंने कहा कि सीसीटीवी कैमरे न लगाने वाले क्रशरों का लाईसेंस निरस्त करें। कैमरे इस तरह लगाये जाएं कि वह खराब न हो तथा सुरक्षित भी रहें।

जिलाधिकारी ने वन निगम के अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि खनन की चोरी को रोकने के लिए खनन पट्टों के पास गहरी खाई खोदी जाए। उन्होंने कहा कि जहां बेरियर नहीं है वहां अवैध खनन को रोकने के लिए सभी जरूरी उपाय किये जाएं। जिलाधिकारी ने पुलिस विभाग को निर्देश दिये कि ज्यादातर खनन की चोरी रात में होती है इसलिए रात्रि में सघन चैकिंग अभियान चलाएं। उन्होंने एआरटीओ को निर्देश दिये कि अवैध खनन में पकड़े गये वाहनों पर मोटर व्हिकल एक्ट के तहत भी नियमानुसार कार्यवाही की जाए।

बैठक में एडीएम वित्त एवं राजस्व डॉ0 ललित नारायण मिश्रा, ज्वांइट मजिस्ट्रेट रूडकी नितिका खंडेलवाल, एसडीएम हरिद्वार, एसडीमए लक्सर, एसडीएम भगवानपुर, एएसडीएम रूडकी, वन विभाग, वन निगम आदि के अधिकारीगण उपस्थित थे।

जिला सूचना अधिकारी
हरिद्वार।